



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

496325



नीलम चैरिटेबुल ट्रस्ट
न्यास विलेख (Instrument of Trust)

यह न्यास विलेख आज दिनांक 19.12.2012 को वाराणसी में अपूर्व चौबे पुत्र श्री डा० हरिहर चौबे, निवासी SH 9/132-N-30-E, गौतम गार्डन कालोनी, सुद्धीपुर, शिवपुर बाईपास रोड, वाराणसी (उ०प्र०) द्वारा निष्पादित किया गया, जिन्हें आगे न्यासकर्ता/संस्थापक/मैनेजिंग ट्रस्टी/मैनेजिंग डायरेक्टर/अध्यक्ष कहा जायेगा। न्यासकर्ता/संस्थापक रु० 11,111/- (रुपये ग्यारह हजार एक सौ ग्यारह मात्र) की राशि सामाजिक कार्यों हेतु दान देने की इच्छा करते हैं। न्यासकर्ता/संस्थापक उक्त राशि में अप्रति संहरणीय चैरिटेबुल न्यास (Irrevocable Charitable Trust) बनाने हेतु इच्छुक हैं जो कि समाज उत्थान एवम् विशेष रूप से शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करेगा और यह ट्रस्ट 'नीलम चैरिटेबुल ट्रस्ट' के नाम से जाना जायेगा तथा चैरिटेबुल ट्रस्ट के रूप में कार्य करेगा।

न्यासकर्ता/संस्थापक की यह भी इच्छा है कि वह विभिन्न स्रोतों से जिसमें दान, उपहार, ऋण आदि भी सम्मिलित हैं, के द्वारा ट्रस्ट के कोष सम्पदा एवम् साधनों को और बढ़ाये ताकि ट्रस्ट अपने उद्देश्यों में प्रभावी रूप से सफल हो सके।

और क्योंकि न्यासकर्ता/संस्थापक ने अपनी इच्छा के अनुकूल रु० 11,111/- (रुपये ग्यारह हजार एक सौ ग्यारह मात्र) की नगद राशि ट्रस्ट को प्रदान की है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई चल-अचल सम्पत्ति न्यास में नहीं है।

Atul

62081

क्रमांक
स्टाम्प विक्रय की तिथि १४-११-१२
स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन
स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता श्री ०१५ जी.पी. १०८ ६८५ जालिंधर महाराष्ट्र ४१६००६
स्टाम्प की धारणा
स्टाम्प विक्रेता का नाम - अजय कुमार
लाइसेन्स नंबर - ३६/१५८/५१/६४
लाइसेन्स की अवधि - ३१ मार्च २०१३
अधिकृत विक्रय करने - कौण्टरी कचहरी
का स्थान व पूरा पता - वाराणसी



भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE
HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BG 509443

(2)

और क्योंकि वर्तमान में इस ट्रस्ट का पंजीकृत/प्रशासनिक कार्यालय-एस.एच. 9/132-एन.-30-ई, गौतम गार्डन कालोनी, सुद्धीपुर, शिवपुर बाईपास रोड़, वाराणसी (उप्र) रहेगा। अधिक सुविधाजनक स्थान मिलने व मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष की सहमति से इस कार्यालय को समयानुसार स्थानान्तरित किया जा सकेगा।

और क्योंकि न्यासकर्ता/ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु नियमावली निम्न प्रकार धाराबद्ध एवं घोषित किया जाता है।

नीलम चैरिटेबुल ट्रस्ट :

उद्देश्य एवं नियमावली :

(A) - ट्रस्ट के उद्देश्य :-

ट्रस्ट निम्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्य करेगा-

1. पाठशालाओं, विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, पुस्तकालयों, वाचनालयों, प्रयोगशालाओं, चिकित्सालयों, अनाथालयों, वृद्धाश्रमों, अनुसंधान केन्द्रों, छात्रावासों, कम्प्यूटर केन्द्रों, निराश्रित केन्द्रों, सर्वेक्षण केन्द्रों तथा सामुदायिक विकास केन्द्रों, पर्यावरण उत्थान केन्द्रों की स्थापना, प्रबन्ध, संचालन आदि कर सकना तथा आवश्यक होने पर विभिन्न परिषदों, विभागों, प्रतिष्ठानों, संस्थाओं शासन आदि से उन्हें मान्य, सम्बद्ध, पंजीकृत, अनुमोदित, स्वीकृत करा सकना।
2. विभिन्न विषयों एवं पाठ्यक्रमों यथा व्यवहारिक, प्रायोगिक कला, वाणिज्यिक, वैज्ञानिक, क्रीड़ा, मार्शल आर्ट, संगीत, तकनीकी, सामाजिक, आधुनिक भाषा, अंग्रेजी, उर्दू, कम्प्यूटर, प्रोफेशनल आदि विषयों पर विभिन्न स्तरीय शिक्षा प्रदान करने का प्रबन्ध करना।

Pranab

4567

18-12-12

रामजी का निवास...

रामजी का निवास करने का प्रयोजन...

रामजी का निवास...

रामजी का निवास...

रामजी का निवास...

रामजी का निवास...

रामजी का निवास...

रामजी का निवास...

रामजी का निवास...

2012 से 2013

रामजी का निवास...

रामजी का निवास...

वास पत्र

120.00

20

140.00

1,000

फीस एंजली

नकल व प्रति शुल्क

योग

शब्द लगभग

वास की राशि

श्री

अपूर्व चौधे

पुत्र श्री

डा. हरिहर चौधे

व्यवसाय

निवासी स्थान

एस एच 9/132-एन-30-ई गोतम गार्डन कालोनी सुद्धीपुर शिवपुर चार

अस्थायी पता

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में

दिनांक

19/12/2012

समय

2:21PM

बड़े निबन्धन हेतु पेश किया।

[Signature]

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मंजूर

न्यासी

[Signature]

श्री अपूर्व चौधे

पुत्र श्री डा. हरिहर चौधे

पेशा

निवासी एस एच 9/132-एन-30-ई गोतम गार्डन

कालोनी सुद्धीपुर शिवपुर चारणसी



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

पूर्णमा मिश्रा

SRO-4

Sub Registrar-4, VNS

19/12/2012

ने निष्पादन स्वीकार किया।

निकले पत्रवाचन श्री रामप्रसाद यादव

पुत्र श्री रामजी यादव

पेशा

निवासी सारंग तालाब शहर चारणसी

व श्री

देव नारायण यादव

पुत्र श्री

मिथु यादव

पेशा

निवासी गडवौं काजीसराय चारणसी

ने की।

[Signature]

अत्यन्त भद्र वाक्यों के निम्न अंगुष्ठे निम्नानुसार लिखे गये हैं।



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

पूर्णमा मिश्रा

SRO-4

Sub Registrar-4, VNS

19/12/2012



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BG 509442

(3)

3. नागरिकों विशेष कर बालक, बालिकाओं, युवक, युवतियों की शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक एवं सर्वांगीण विकास तथा स्वावलम्बी बनाने हेतु खादी ग्रामोद्योग बोर्ड एवं खादी ग्रामोद्योग आयोग की योजनाओं को संचालित करना।
4. विभिन्न प्रतियोगिताओं एवम् प्रतिस्पर्धा परीक्षाओं में छात्र-छात्राओं को सफल होने के गुर सिखाकर स्वावलम्बी बनाने हेतु उनके अध्ययन, अध्यापन, आवास सुविधाओं आदि की व्यवस्था कर सकना।
5. विभिन्न कक्षाओं, वर्गों के लिए पाठ्यक्रम मानक निर्धारित करना, परीक्षाएँ लेना।
6. पुस्तकों, साहित्य पत्रों, पाठ्यक्रमों आदि का सृजन, सम्पादन, प्रकाशन, मुद्रण, वितरण आदि कर सकना।
7. शिक्षा एवं शिक्षा पद्धतियों का विकास कर सकना तथा विभिन्न विषयों पर अनुसंधान कर सकना।
8. सांस्कृतिक कार्यक्रम, पर्यावरण कार्यक्रम, एड्स कार्यक्रम, अधिवेशन, गोष्ठियों, सम्मेलन, प्रतियोगिताएँ, बैठक, विशेष कक्षाएँ, सत्र प्रोत्साहन कार्यक्रम आदि आयोजित कर सकना।
9. समाज कल्याण विभाग, नाबार्ड, कपार्ट, परिवार कल्याण विभाग, पर्यावरण, मानव संसाधन मंत्रालय की योजनाओं को संचालित करना तथा एड्स पर कार्य कर सकना।
10. सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, स्क्रीन प्रिंटिंग, प्रिंटिंग आदि की शिक्षा प्रदान कर सकना।
11. सामाजिक न्याय के विकास हेतु एवं राष्ट्रीय अखण्डता के अभ्युष्ण रखने हेतु विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, मेडिकल कालेज, विधि महाविद्यालय, इंजीनियरिंग कालेज, आईटीआई, फार्मेसी, फीजियोथेरेपी आदि संस्थानों की स्थापना कर सकना तथा इनकी शाखाओं की स्थापना, चिकित्सा केन्द्र, अस्पताल, प्रेस की स्थापना, संचालन आदि कर सकना।

Pranav

4568

19-12-12

राम्य विक्रय का तिथि..

राम्य क्रय करने का प्रयोजन.....

राम्य क्रय का भाव व दस्तावेज.....

राम्य की संख्या: 100

राम्य विक्रेता का नाम - श्री मति पूजा देवी

महाराष्ट्र राज्य

सामग्री का अंकित

2012 से 2013

सामग्री का अंकित - 214

न्यासी

Registration No. 214

Year: 2012

Book No.: 4

0101 अपूर्व चीने

डा. हरिहर चौधरी

एस एच 9/132-एन-30-ई गोतम गार्ह्येन कालोनी सुन्दीपुर शिवपुर

Chamber



[Handwritten signature]



भारतीय गैर न्यायिक

पचास
रुपये

रु.50

FIFTY
RUPEES

Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AD 782786

(4)

12. व्यक्ति विशेष, सोसाइटी, अन्य ट्रस्ट द्वारा संचालित विद्यालयों, महाविद्यालयों, मेडिकल कालेजों, इंजीनियरिंग कालेजों को अपने ट्रस्ट द्वारा संचालित कर सकना एवं ट्रस्ट में ऐसे संस्थानों को प्राप्त करना, समायोजित कर सकना।
13. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विभिन्न राष्ट्रीय एवम् अन्तर्राष्ट्रीय, संगठनों, संस्थाओं, व्यक्तियों से सहयोग प्राप्त कर सकना अथवा प्रदान कर सकना।
14. विधि सम्बन्धी उपयोगी जानकारी का प्रचार एवम् प्रसार कर सकना।
15. आयुर्वेदिक औषधियों का उत्पादन करना एवम् उसका प्रचार कर सकना।
16. कृषि विकास से सम्बन्धित कार्य कर सकना व उसका प्रचार प्रसार कर सकना।
17. एड्स के बारे में जनजागरण करने हेतु प्रचार-प्रसार कर सकना।
18. पुस्तक, पुस्तिकाएँ, पत्र-पत्रिकाएँ, समाचार पत्र आदि को प्रकाशित, मुद्रित, सम्पादित, वितरित, एवं विक्रय कर सकना।
19. ट्रस्ट द्वारा दी जा रही सेवाओं/वस्तुओं के लिए समुचित शुल्क/मूल्य निर्धारित करना तथा प्राप्त करना।
20. पत्राचार द्वारा अध्यापन/अध्ययन को प्रोत्साहित कर सकना तथा तत्सम्बन्धी आवश्यक व्यवस्थाएं कर सकना।
21. उपभोक्ता अधिकार, ऊसर सुधार जैसे सामाजिक दायित्व के विषयों पर जन चेतना जागृत करने हेतु कार्य कर सकना।
22. धार्मिक स्थलों का निर्माण व जीर्णोद्धार कर सकना।
23. जनकल्याण हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर सकना तथा क्रियान्वयन कर सकना।

Prabhu

भारतीय गैर न्यायिक

पचास
रुपये

रु.50

FIFTY
RUPEES

Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AD 782785

(5)

24. विभिन्न संस्थाओं/विद्यालयों/महाविद्यालयों/ विश्वविद्यालयों/ मेडिकल कालेज, विधि महाविद्यालयों/ इंजीनियरिंग कालेजों/प्रतिष्ठानों के विशेषाधिकार (Franchise) प्राप्त कर सकना तथा अपना विशेषाधिकार (Franchise) अन्य को प्रदान कर सकना। कोई समिति स्वयं या अपने द्वारा संचालित, किसी भी तरह के संस्थान को न्यास में समाहित करने की इच्छुक हो तो, उस समिति द्वारा प्रस्ताव स्वीकृत होने पर, न्यासियों एवं न्यास मण्डल/बोर्ड के अध्यक्ष की अनुमति से ही संस्था/समिति को न्यास में समाहित किया जा सकेगा और वह समिति/संस्था न्यास की संस्था (सम्पत्ति) मानी जायेगी।
25. ट्रस्ट जन सामान्य के हित में कार्य करेगा। ट्रस्ट यथासम्भव अपनी सेवाएँ/वस्तुएँ/लागत मूल्य पर ही देने का प्रयास करेगा। ट्रस्ट द्वारा जनहित में सड़क, खड़न्जा, तालाबों का निर्माण, मछली पालन, पशुपालन आदि का प्रचार एवं प्रसार कर सकना।
26. ट्रस्ट वित्तीय लाभ के लिए ही कार्य नहीं करेगा, जन कल्याण की भावना एवम् ट्रस्ट के उद्देश्यों को सदैव अपने समक्ष रखेगा, एवम् बंजर भूमि, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नेहरू युवा सुधार हेतु रोजगार केन्द्र प्रौढ़ शिक्षा का प्रचार-प्रसार करना।
27. कृषकों के उत्थान एवं विकास हेतु कार्य करना। गरीब असहायों एवं जरूरतमन्दों को निःशुल्क शिक्षा देना, पिछड़े वर्गों, अनु०जातियों, अनु० जनजातियों को अच्छी शिक्षा तथा भारत के किसी भी हिस्से में (संघ शासित राज्यों में भी) शैक्षिक संस्थाओं, कृषि विज्ञान, कम्युनिटी, विकास केन्द्रों, अनुसंधान संस्थाएँ, महिला कल्याण योजनाएँ, राष्ट्रीय अखण्डता कार्यक्रम, स्वास्थ्य केन्द्र या कोई भी कार्य किसी स्थान पर बनाने, प्राप्त करने, शुरू करने और बरकरार रखने के लिए कार्य करना।

Prabhu

भारतीय गैर न्यायिक

पचास
रुपये
रु.50

FIFTY
RUPEES

Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AD 782784

(6)

28. कृषकों को फूल एवं औषधीय खेती के विषय में जानकारी देना एवं उत्पादन किये गये माल का आयात व निर्यात करना।
29. कृषकों के उत्थान एवं विकास हेतु पॉलीक्लीनिक का निर्माण करना।
30. यह कि इस ट्रस्ट का सृजन किसी व्यक्तिगत उद्देश्य/हित/लाभ के लिए नहीं किया गया है।

(B) प्रारम्भिक उपबन्ध :

1. वर्तमान में ट्रस्ट डीड के पंजीकृत होने के दिनांक से अपूर्व चौबे जो न्यासकर्ता एवं इस न्यास विलेख के रचयिता (Author of Deed) भी हैं, को इस ट्रस्ट का मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष सुनिश्चित किया जाता है तथा डॉ० हरिहर चौबे पुत्र स्व० अमरनाथ चौबे, श्रीमती नीलम चौबे पत्नी डॉ० हरिहर चौबे एवं अपूर्व चौबे पुत्र डॉ० हरिहर चौबे, निवासीगण- SH 9/132-N-30-E, गौतम गार्डन कालोनी, सुद्धीपुर, शिवपुर बाईपास रोड, वाराणसी (उ०प्र०) को ट्रस्टी सुनिश्चित किया जाता है।
2. यह ट्रस्ट डीड वर्तमान मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष अपूर्व चौबे द्वारा रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्टर्ड कराकर सुनिश्चित कर दिया जाय तो अपूर्व चौबे की मृत्यु के पश्चात् उनकी पत्नी तत्पश्चात् पुत्र तत्पश्चात् पुत्र की पत्नी, तत्पश्चात् पौत्र, तत्पश्चात् पौत्र की पत्नी मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष नियुक्त किया जायेगा और यही क्रम चलता रहेगा। मैनेजिंग ट्रस्टी अपूर्व चौबे की पत्नी पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र की अनुपलब्धता की स्थिति में उत्तराधिकारी पुत्री होगी। यही क्रम चलता रहेगा। इनके उत्तराधिकारियों के अलावा कोई बाहरी (अतिसन्निकट का ही व्यक्ति क्यों न हो) किसी भी परिस्थिति में ट्रस्ट का ट्रस्टी व मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष कभी भी नहीं हो सकता है। मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष या ट्रस्टी द्वारा कभी भी किसी बाहरी (उत्तराधिकारियों के अतिरिक्त) व्यक्ति के नाम ट्रस्ट में सम्मिलित करने हेतु रजिस्ट्रार के यहाँ वसीयत या कोई भी पत्र

Prabhu

भारतीय गैर न्यायिक

पचास
रुपये

रु.50



FIFTY
RUPEES

Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AD 782783

(7)

रजिस्टर्ड करा दिया जाता है तो वह अवैध माना जायेगा। कभी भी ट्रस्टी की संख्या 5 से अधिक नहीं होगी। उत्तराधिकारी (पत्नी/पुत्र) आजीवन ट्रस्टी रहेंगे। इस ट्रस्ट में नामित ट्रस्टी के पश्चात् भविष्य में कभी मैनेजिंग ट्रस्टी के सम्बन्ध में विवाद उत्पन्न हो तो सभी ट्रस्टीज के बहुमत से मैनेजिंग ट्रस्टी नामित किया जायेगा।

उक्त नियमों में कोई भी परिवर्तन, परिमार्जन, परिवर्धन किसी भी परिस्थिति में कभी नहीं किया जा सकता है।

3. वर्तमान मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष अपने जीवन काल में ही जब चाहे अपना उत्तरदायित्व अपने उत्तराधिकारियों को अन्तरित कर सकते हैं।
4. यदि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष, अथवा अन्य ट्रस्टी की मृत्यु के समय उत्तराधिकारी अवयस्क है तो उनकी ओर से उनकी माँ मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष, ट्रस्टी का कार्य तब तक समालेगी, जब तक कि उनके उत्तराधिकारी कानूनी रूप से बालिग न हो जाय।

(C) मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष पद का उत्तराधिकारी/हस्तान्तरण :

1. मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष अपने जीवन काल में ही परिस्थिति विशेष में मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष का पद अपने पुत्रों में से किसी को प्रदान कर सकता है।
2. किसी भी व्यक्ति के मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष बनते ही उसे वह सभी अधिकार प्राप्त हो जायेंगे, जो कि इस ट्रस्ट डीड के मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष को प्रदत्त किये गये हैं।
3. मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष को चाहिए कि परिस्थिति विशेष में वह अपना उत्तराधिकारी मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष, लिखित रूप से अपना हस्ताक्षर करके व्यक्त कर दें। मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष यह व्यवस्था रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्टर्ड कराके अथवा अपनी वसीयत द्वारा भी सुनिश्चित कर सकता है। इस सन्दर्भ में यह भी स्पष्ट करना है कि कार्यरत मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा

Signature

भारतीय गैर न्यायिक

पचास
रुपये

रु.50

FIFTY
RUPEES

Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AD 782782

(8)

अपने जीवन-काल के उत्तरार्द्ध में की गयी वसीयत/इच्छा/व्यवस्था ही अन्तिम रूप से मान्य होगी।

4. यहाँ पर यह भी स्पष्ट किया जाता है कि कार्यरत मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष अपने जीवन काल में अपना कार्यभार अपने उत्तराधिकारी को वास्तविक रूप से हस्तान्तरित कर सकता है, जिस पर पुनर्विचार का अधिकार मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष में सुरक्षित रहेगा।
5. कार्यरत मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा अपने उत्तराधिकारी को दिया गया कार्यभार हस्तान्तरण समस्त अधिकारों सहित पूर्ण हस्तान्तरण माना जायेगा।

(D) बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज :

1. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष यदि उचित समझे तो विभिन्न विषयों पर विचार-विमर्श करने एवं सलाह प्राप्त करने हेतु बोर्ड ऑफ मैनेजिंग कमेटी का गठन कर सकता है, जिसमें कि अधिकतम सात सदस्य होंगे। इस बोर्ड ऑफ मैनेजिंग कमेटी का अध्यक्ष स्वयं मैनेजिंग ट्रस्टी अथवा उसके द्वारा नामित कोई अन्य ट्रस्टी होगा।
2. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष किसी भी व्यक्ति को बोर्ड ऑफ मैनेजिंग कमेटी के लिए मनोनीत करते समय उसका कार्यकाल स्पष्ट करेगा। बोर्ड ऑफ मैनेजिंग कमेटी की कार्य अवधि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष की इच्छा पर निर्भर करती है तथा मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष किसी भी व्यक्ति का कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व ही बिना किसी को कोई कारण बताए बोर्ड ऑफ मैनेजिंग कमेटी से हटा सकता है। बोर्ड ऑफ मैनेजिंग कमेटी, मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष के अनुग्रह तक/प्रसाद पर्यन्त ही कार्य करेगी।

Phanbey

भारतीय गैर न्यायिक

पचास
रुपये
रु.50



FIFTY
RUPEES
Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AD 782781

(9)

3. यह कि बोर्ड ऑफ मैनेजिंग कमेटी उन्हीं विषयों पर विचार करेगा तथा सुझाव देगा जिनको कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा अथवा लिखित रूप से अधिकृत किया जायेगा।
4. यह कि बोर्ड ऑफ मैनेजिंग कमेटी द्वारा दिये गये किसी भी सुझाव को स्वीकार करना अथवा अस्वीकार करना पूर्णतया मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष की इच्छा एवं विवेक पर निर्भर करता है। इस सन्दर्भ में मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष के द्वारा लिया गया निर्णय ही मान्य एवं अन्तिम होगा।
5. मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष का विशेषाधिकार-मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष को यह विशेषाधिकार प्राप्त होगा कि वह ट्रस्ट के अन्तर्गत कार्यरत किसी भी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा लिये गये निर्णय में हस्तक्षेप कर स्वीकृत/अस्वीकृत/संशोधित कर दें। मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष, ट्रस्ट के कार्यकलापों में किसी भी स्तर पर कोई भी दिशा निर्देश दे सकता है जो सभी सम्बन्धित पक्षों को अन्तिम रूप से मान्य एवं स्वीकार होगा।

(E) अध्यक्ष/मैनेजिंग ट्रस्टी का कार्यालय एवं सुविधाएँ :

1. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष को ट्रस्ट द्वारा विभिन्न आवश्यकताओं से युक्त निवास, कार्यालय एवं वाहन की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी। इन सुविधाओं के स्तर को सुनिश्चित करने में बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज का निर्णय ही अन्तिम रूप से मान्य होगा।
2. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष अपना उत्तरदायित्व वहन करने हेतु ट्रस्ट से मासिक मानदेय/भत्ते आदि बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के स्वीकृति अनुसार प्राप्त कर सकता है। मानदेय/भत्ते आदि पर यदि कोई आयकर लगता है, तो मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष स्वयं अपनी प्राप्त आय से ही आयकर का भुगतान करेगा ट्रस्ट इसके लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

भारतीय गैर न्यायिक

पचास
रुपये

रु.50

FIFTY
RUPEES

Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AD 782780

(10)

- (F) कार्यक्षेत्र : ट्रस्ट का कार्य क्षेत्र सम्पूर्ण विश्व होगा, वह सामाजिक उत्थान हेतु ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विश्व के किसी राष्ट्र व व्यक्ति विशेष से सहायता एवं राय प्राप्त कर सकता है। अथवा सहायता व राय दे सकता है।

- (G) मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्य :

यह कि इस डीड के अन्तर्गत अध्यक्ष/ट्रस्टी को प्राप्त विभिन्न अधिकार एवं कर्तव्यों के अतिरिक्त अध्यक्ष/ट्रस्टी के निम्न अधिकार व कर्तव्य भी होंगे:-

1. बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक बुलाना एवं उसकी अध्यक्षता करना।
2. ट्रस्ट के समस्त कार्यों का उत्तरदायित्व पूर्ण ढंग से देख-रेख करने के लिए आवश्यकतानुसार ट्रस्ट के उपाध्यक्ष, सचिव, उपसचिवों की नियुक्ति करना तथा उसके अधिकार एवं कर्तव्यों के लिए नियम बनाना।

- (H) बैंक एकाउण्ट :

1. ट्रस्ट का खाता किसी बैंक में खोला जा सकेगा मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष स्वयं अथवा उसके द्वारा इस हेतु अधिकृत व्यक्ति, मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत खाता खोल सकता है अथवा संचालित कर सकता है। सामान्यतया खाता मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा संचालित होगा अथवा उनके निर्देश पर खाते का संचालन दो लोग भी (ट्रस्टियों में से) संयुक्त रूप से कर सकते हैं।
2. ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित अथवा कार्यरत किसी भी विद्यालय/महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय/ संस्थान/ केन्द्र/कार्यक्रम इकाई कार्यालय का पृथक नाम से बैंक खाता खोला एवं संचालित किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में स्वयं ट्रस्ट के अध्यक्ष द्वारा विद्यालय, महाविद्यालय/विश्वविद्यालय/ केन्द्र/कार्यक्रम इकाई आदि के अध्यक्ष के रूप में बैंक खाता,

Shanley

भारतीय नैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY
RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(11)

20AA 463043

खोला व संचालित किया जायेगा अथवा अध्यक्ष द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा अध्यक्ष के निर्देशानुसार बैंक खाता खोलकर संचालित किया जा सकेगा, जिसमें परिवर्तन का एकाधिकार अध्यक्ष में निहित होगा।

- (I) विधिक कार्यवाही ट्रस्ट का विवाद न्यायालय में नहीं किया जायेगा। भविष्य में यदि संस्था/ट्रस्ट की तरफ से कोई विधिक कार्यवाही की जाती है या उसके विरुद्ध कोई विधिक कार्यवाही होती है तो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के निर्णयानुसार अधिवक्ता की नियुक्ति एवं विभिन्न न्यायालयों में पैरवी मैनेजिंग ट्रस्टी द्वारा की जायेगी या अन्य को अधिकृत किया जा सकता है। न्यास सम्पत्ति व न्यास के संचालन व प्रबन्धन के बाबत न्यासियों के किसी विवाद के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में किसी न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं होगा, यदि कोई विवाद न्यास व उसके संचालन प्रबन्धन के बाबत उत्पन्न होता है तो आरबिट्रेटर द्वारा निर्णित किया जायेगा। आरबिट्रेटर की नियुक्ति अथवा नामकरण न्यासियों व अध्यक्ष (ट्रस्टी व मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष) द्वारा किया जायेगा। यदि भविष्य में किसी सहायक न्यासी या सदस्य द्वारा किसी विवाद को न्यायालय में दाखिल किया जाता है तो उसकी सदस्यता अथवा न्यासी पद स्वतः समाप्त हो जायेगी।

- (J) सम्पत्ति सम्बन्धी :

ट्रस्ट चल/अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में वह सभी अधिकार रखता है, जो कि एक नागरिक/व्यक्ति को प्राप्त होते हैं।

2. ट्रस्ट की ओर से चल/अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई निर्णय लेने/लेख, विलेख बनाने हेतु अध्यक्ष किसी व्यक्ति को अधिकृत कर सकता है।

3. ट्रस्ट, चल/अचल सम्पत्ति क्रय-विक्रय कर सकता है, रेहन रख सकता है, किराये पर दे सकता है, ले सकता है अथवा दे सकता है।

Shaukey

भारतीय बैंक न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY
RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(12)

20AA 463042

4. ट्रस्ट किसी-से ऋण, दान, उपहार, आग्रह, भेंट, सम्मान, पुरस्कार, स्मृति चिन्ह, मानदेय आदि प्राप्ता कर सकता है और दे सकता है।

5. ट्रस्ट, धन को कहीं भी विनियोजित कर सकता है, सुरक्षित कर सकता है, किसी बैंक, संस्था कम्पनी आदि की किसी योजना में धन/सम्पत्ति को विनियोजित कर सकता है।

6. चल/अचल सम्पत्ति की प्रत्याभूति (Gurantee), भाड़ा क्रय (Hire Purchase), अनुज्ञप्ति (Licence), बन्धक (Mortgage), भारित (Charge), गिरवी (Pledge), विभाजित (Partition) आदि कर सकता है/ले सकता है/दे सकता है।

(K) विशेष :

1. इस ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित/कार्यरत किसी भी विद्यालय व महाविद्यालय/विश्वविद्यालय/कार्यक्रम/इकाई/कार्यालय/संस्था/उपक्रम आदि के कार्य संचालन हेतु पृथक से नियम/उपनियम इत्यादि बनाये जा सकते हैं, परन्तु यदि वह इस डीड ऑफ ट्रस्ट "नीलम चैरिटेबुल ट्रस्ट" के उद्देश्य एवं नियमावली के किसी भी प्राविधान का अतिक्रमण करते हैं तो वह नियम/उपनियम, अतिक्रमण की सीमा तक शून्य होंगे तथा मैनेजिंग ट्रस्टी द्वारा बनायी गयी समिति, उप समिति को स्वेच्छानुसार भंग करके उनका अधिकार अपने में निहित किया जा सकेगा तथा विवेकानुसार समिति, उप समिति का गठन किया जा सकेगा।

2. मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष यदि उचित समझे तो किसी/किन्हीं परिस्थितियों में इस ट्रस्ट डीड के किसी/किन्हीं प्राविधान/प्राविधानों को शिथिल कर सकते हैं तथा प्राविधान/प्राविधानों के होते हुए भी अन्यथा निर्णय ले सकते हैं इस सम्बन्ध में अध्यक्ष का विवेक/व्यवस्था ही अन्तिम होगी। इस धारा के अन्तर्गत अध्यक्ष द्वारा की गयी किसी कार्यवाही को कभी किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी।

Prabhu

भारतीय गैर न्यायिक



INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(13)

73AB 789544

इस ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित किसी भी विद्यालय व महाविद्यालय/विश्वविद्यालय/ मेडिकल कालेज/ विधि महाविद्यालय/इंजीनियरिंग कालेज/आईटीआई/पुस्तकालय/ फार्मसी/ फिजियोथेरेपी आदि संस्थानों, कार्यक्रमों/इकाई/कार्यालय /संस्था/उपक्रम के कार्य संचालन के लिए पृथक से नियम, उप नियम बनाया जायेगा व तत्सम्बन्धी विश्वविद्यालय, बोर्ड, सरकारी/अर्द्ध सरकारी व मान्यता प्रदान करने वाली संस्था/विभाग इत्यादि की आवश्यकतानुसार प्रबन्ध समिति का गठन किया जायेगा जिसमें ट्रस्ट द्वारा नामित व्यक्ति ही सदस्य व पदाधिकारी होंगे। नामित व्यक्ति बोर्ड ऑफ ट्रस्टी अथवा बाहर के सदस्य भी हो सकते हैं। समिति/उप समिति के खातों का संचालन इस ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी करेंगे। इस निमित्त उन्हें विश्वविद्यालय/बोर्ड/विभाग के नियमानुसार/ आवश्यकतानुसार समिति/उप समिति का अध्यक्ष अथवा प्रबन्धक समझा जायेगा। इस प्रकार मैनेजिंग ट्रस्टी समिति/उप समिति का सदस्य (अध्यक्ष अथवा प्रबन्धक) आजीवन पदेन होगा और समिति/उप समिति के खातों का संचालन इस ट्रस्ट के अध्यक्ष द्वारा नियमानुसार/आवश्यकतानुसार समिति/उप समिति का अध्यक्ष अथवा प्रबन्धक बनकर किया जायेगा और आर्थिक प्रकरणों पर सहमति/अनुमति एवं अनुमोदन ट्रस्ट के अध्यक्ष द्वारा किया जायेगा।

4. ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं में चार की संख्या तक निदेशक ट्रस्ट के अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किये जा सकते हैं। जो संस्था के प्रशासनिक एवं शैक्षणिक वातावरण को बनाने में सहयोग करेंगे।

Araben

भारतीय गैर न्यायिक

दस
रुपये
रु. 10

TEN
RUPEES
Rs. 10



INDIA NON JUDICIAL

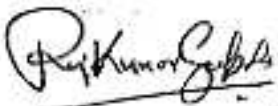
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

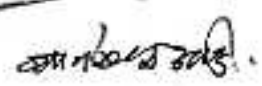
(14)

73AB 789543

"नीलम चैरिटेबुल ट्रस्ट" का यह न्यास विलेख (Instrument of Trust) एवं उसमें सन्निहित "नीलम चैरिटेबुल ट्रस्ट" का उद्देश्य एवं नियमावली, एतद्वारा अधिनियमित, अनुमोदित, घोषित, स्वीकृत एवं तत्काल कार्यान्वित की जाती है।

इस न्यास विलेख (Instrument of Trust) को पढ़कर एवं समझकर व्यवहार में लाने हेतु निम्न साक्षियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर कर दिये गये।

टाईपकर्ता- 

मसविदाकर्ता- 

(अपूर्व चौबे)
संस्थापक/अध्यक्ष
"नीलम चैरिटेबुल ट्रस्ट"

साक्षीगण:-

1. नाम : राजेश्वर पादव फुलमजी पारव
पता : मारवा ललाव चरावारी

2. नाम : देवनाथका शिव पुत्र शिव शिव
पता : गडगा लालजीपराग लालजीपराग




..... 4577
राम्य विक्रय की तिथि.. 12/12/12

राम्य कर करने का प्रयोजन.....

राम्य क्रता का भाष व पुर यता.....

राम्य की तिथि.....

राम्य विक्रता का नाम - श्री मनि पूजा देवी

राजस्थान नगर 244

राम्य कर की अवधि: 2012 से 2013

राम्य कर का प्रकार - ग्रामीण व नगरीय

राम्य कर का दर - 1%

श्रीलाल शर्मा देवगुल मल्लिकार्जुन
श्रीलाल शर्मा देवगुल मल्लिकार्जुन
मुंबई 400 002

आज दिनांक 19/12/2012 को

वही सं. 4 जिल्द सं. 91

पृष्ठ सं. 41 से 68 पर क्रमांक 214

रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर


पूणिमा मिश्रा

SRO-4

Sub Registrar-4, VNS

19/12/2012

